पश्चात सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड गैर सायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अतः आगामी तारीख पेशी तक गैर सायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम जीवद के आ०ख०न० 2035, 2036, 2100, 2101, 2102, 2118, 2119, 2141, 2142 कुल किता 9 रकबा 4.43 हेक्टे० की खरीद बेच आदि नहीं करे। सायल के कब्जे काश्त में मुदाखलत पैदा न करे स्वंय करे न किसी अन्य से करावे। तथा रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

तामील पत्र T.I दर्ज रजिस्टर लेकर तहसीलदार गैर सायल के जाकर पत्रावली दिनांक 8-5-18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

8/5/18 उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / अवकाश पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली नियमानुसार दिनांक 31-7-18 को पेश हो।

रीडर

16/5/18 पत्रावली तलब करने पर पेश हुई। नकीब सायल उपस्थित। नकीब सायल द्वारा मूल दावा वापिस लिया जा चुका है अतः पत्रावली T.I को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में T.I वापिस करने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील रजिस्टर दाखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)